

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डा० अमीर आफाक अहमद फ़ैजी
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...06.03.2026

विषय:- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के अन्तर्गत सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। आवेदन समर्पित करने की तिथि 20.03.2026 से 20.04.2026 तक निर्धारित है। विज्ञापन प्रकाशन की सामग्री (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) संलग्न है।

अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

✓ विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:-अ०सं०क०-08-ग-आ०वि० (स्था०)-11/2024...1016...../ पटना, दिनांक...06.03.2026

प्रतिलिपि :-श्रीमती जयन्ति, विभागीय नोडल पदाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन प्रारूप (प्रति संलग्न) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

✓ विशेष सचिव-सह-निदेशक

6/3/26

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के नियोजन हेतु विज्ञापन
आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि- 20.03.2026 एवं अंतिम तिथि- 20.04.2026

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों की कुल 481 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में 02 जिलों यथा दरभंगा एवं किशनगंज में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित है तथा कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर में वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित किया जाना है।

2. अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित) एवं माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के स्वीकृत पद के विरुद्ध निम्नांकित रिक्त पदों पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 10+2 विद्यालयों से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/10+2 शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त कर्मियों को निम्नांकित पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000, दिनांक-10.07.2015 में निहित सभी शर्तों के अधीन राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के तहत संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०	पद	विषय	रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या x जिला)	आरक्षण बिन्दु
1	प्रधानाध्यापक		1×5=5	UR-03, EBC-01, SC-01
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)	अंग्रेजी	2×5=10	रोस्टर बिन्दु 1-10 UR-04, EBC-02, BC-01, SC-02, EWS-01
2		हिन्दी	2×5=10	रोस्टर बिन्दु 11-20 UR-03, EBC-02, BC-01, BCM-01, SC-01, ST-01, EWS-01
3		उर्दू	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 21-25 UR-03, BC-01, SC-01
4		गणित	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 26-30 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
5		भौतिक शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 31-35 UR-03, EBC-01, SC-01
6		रसायन शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 36-40 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
7		वनस्पति विज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 41-45 UR-04, EBC-01
8		जीव विज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 46-50 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
9		कम्प्यूटर	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 51-55 UR-03, EBC-01, BCM-01
10		इतिहास	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 56-60 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
11		भूगोल	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 61-65 UR-03, BC-01, SC-01
12		समाज शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 66-70 UR-01, EBC-02, SC-01, EWS-01
13		राजनीति शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 71-75 UR-03, BC-01, SC-01
14		गृह विज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 76-80 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
15		मनोविज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 81-85 UR-03, EBC-01, BCM-01
16		अर्थशास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 86-90 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
		कुल	90	

1	माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	अंग्रेजी	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 1-5 UR-03, EBC-01, SC-01
2		हिन्दी	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 6-10 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
3		उर्दू	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 11-15 UR-03, EBC-01, BC-01
4		फारसी	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 16-20 EBC-01, BCM-01, SC-01, ST-01, EWS-01
5		अरबी	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 21-25 UR-03, BC-01, SC-01
6		विज्ञान	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 26-30 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
7		गणित	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 31-35 UR-03, EBC-01, SC-01
8		समाज शास्त्र	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 36-40 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
9		शारीरिक शिक्षा	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 41-45 UR-04, EBC-01
10		संगीत/कला	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 46-50 UR-01, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01
11		कम्प्यूटर	1×5=5	रोस्टर बिन्दु 51-55 UR-03, EBC-01, BCM-01
		कुल		55
		कुल योग		5 + 90 + 55 = 150

3. अभ्यर्थी का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000, दिनांक-10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित शर्तें रहेगी:-

"चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/शिक्षकों को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा, वही देय होगा।


5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-13522, दिनांक-17.11.2021 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय देय होगा।

6. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है तथा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं महालेखाकार से निर्गत सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र (OPS/NPS) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा (विहित प्रपत्र-I एवं प्रपत्र-II विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html> से डाउनलोड किया जा सकता है)।

7. सेवानिवृत्त शिक्षक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय/विभाग में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में तिथि-20.04.2026 तक हाथोंहाथ अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद समर्पित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. आवेदक का केवल एक ही आवेदन अनुमान्य होगा।

9. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती/नाती नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
10. सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने के स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल नं० विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
11. चयनित कर्मियों को विद्यालय द्वारा विहित/निदेशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान/निदेशालय/विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना होगा।
12. चयनित शिक्षकों की सेवा/देयता राज्य के किसी भी अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए होगा।
13. विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निदेशालय/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।


विशेष सचिव-सह-निदेशक 6/3

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं
कैमूर के अंतर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च
माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के
आधार पर नियोजन हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदित पद का नाम:- प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)
2. आवेदक/आवेदिका का नाम:-
3. पिता/पति का नाम:-
4. जन्म तिथि:-
5. सेवानिवृत्ति तिथि:-
6. आधार कार्ड संख्या:
7. पैन कार्ड नं०:-
8. लिंग:- पुरुष महिला थर्ड जेंडर
9. दिव्यांग:- हाँ नहीं
10. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती-नतीनी:- हाँ नहीं
11. आरक्षण कोटि:- सामान्य अनु० जाति अनु० जनजाति पिछड़ा वर्ग
पिछड़े वर्ग की महिला
अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
12. स्थायी पता:- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....
पोस्ट:-....., थाना:-.....
....., जिला:-....., पिन कोड:-.....
13. पत्राचार का पता ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....
पोस्ट:-....., थाना:-.....
....., जिला:-....., पिन कोड:-....., मो० नं०:-.....
14. शैक्षणिक योग्यता:- स्नातक स्नातकोत्तर पी०एच०डी० (अगर हो तो)
15. विषय:-
16. प्रशिक्षण की स्थिति:- प्रशिक्षित अप्रशिक्षित
17. विद्यालय का नाम (राज्य सरकार के विद्यालय 10+2 विद्यालय से सेवानिवृत्त) का पूरा पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जिस विषय के शिक्षक रहें हैं, विषय का नाम:- विद्यालय का नाम-.....
....., विद्यालय का पता:-.....
विषय:-.....
18. कोषागार/बैंक का नाम जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं/पी०पी०ओ०न० (महालेखाकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पी०पी०ओ० प्रमाण पत्र संलग्न):-.....
19. कोई आरोप/दंड यदि हो, तो:-.....

पासपोर्ट
साइज का स्व
अभिप्रमाणित
फोटो

उद्घोषणा

(क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही हैं, यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000, दिनांक-10.07.2015 की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

दिनांक:-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

कार्यालय

स्वच्छता प्रमाण-पत्र

1. नाम
2. पदनाम
3. पदस्थापन स्थल
4. जन्म तिथि
5. सेवानिवृति की तिथि
6. पदस्थापन अवधि
7. विद्यालय / कार्यालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री, पदनाम
सेवानिवृति के पश्चात इनके ऊपर आलोच्य अवधि में किसी भी प्रकार का
आरोप / बकाया / विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

प्रधानाध्यापक / प्रभारी
विद्यालय / कार्यालय

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

ज्ञापांक..... /

दिनांक..... /

प्रमाण-पत्र

श्री पिता श्री.....

ग्राम/मोहल्ला पोस्ट.....

थाना जिला..... का स्वास्थ्य जाँच आज
दिनांक- को की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि ये शारीरिक
रूप से स्वस्थ है।

पहचान चिन्ह

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित



असैनिक शल्य चिकित्सक
-सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी